न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 86/2016 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2016/00071)

1. श्रीराम पुत्र शिब्बी
2. हरभानसिंह
3. बनयसिंह
4. भूपसिंह
5. अतरसिंह
6. मैम्बरसिंह
7. ओमप्रकाश पुत्र धर्मसिंह
8. विजेन्द्र पुत्र मनोहर
9. महाराजसिंह पुत्र शिब्बी

(क्रमांक 2 से 6 — पिसरान किशोर)

जातियान गूजर निवासीयान गांवडी तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

1. निरपतसिंह (मृतक)
   - 1/1 मु0 रामा वेवा निरपतसिंह
   - 1/2 सतवीर उर्फ ओमवीर
   - 1/3 अनेक

   (1/2 व 1/3 — पुत्रान निरपतसिंह)

   जातियान गूजर निवासीयान गांवडी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

2. प्रेम पुत्र रतनसिंह
3. द्रोपदी पत्नी रतनसिंह
4. फत्ते
5. गिल्लो

(4 व 5 — पुत्रान मु0 भगवती उर्फ भगवानसिंह पत्नी फूलसिंह पुत्री छोटल्ली जाति गूजर निवासी दिल्ली गेट कामां तहसील कामां जिला भरतपुर)

.... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 19.9.2016 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 840 दिनांक 29.1.2014 वाकै ग्राम गांवडी तहसील भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री सोनीराम शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रमोद उपमन वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 17.10.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.9.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सहायक कलक्टर भरतपुर के डिक्री दिनांक 10.12.2013 इजराय दिनांक 10.1.2014 की पालना में नायब तहसीलदार भरतपुर ने नामान्तरकरण संख्या 840 रैस्पोडेन्ट के हक में खोला गया। जिससे व्यथित होकर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमें जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2016 पारित करते हुये परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2014 में कोई विधिक त्रुटी नही पाये जाने पर अपील खारिज कर दी गई। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 19.9.2016 के खिलाफ यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2016 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला कलक्टर ने इस ओर कोई ध्यान नही नहीं दिया कि दाखिल खारिज संख्या 840 दिनांक 29.01.2014 कतई अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुई डिक्री के आधार पर तस्दीक किया गया है, क्योंकि सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित डिक्री दिनांक 10.12.2013 मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है। मु0 भगवती पत्नी फूलसिंह अधीनस्थ न्यायालय में दावा दायर करने से पूर्व ही दिनांक 10.07.2005 को फौत हो चुकी थी। इसके बाबजूद सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध दिनांक 10.12.2013 को डिक्री पारित कर दी गई। जबकि न तो मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की जा सकती है और न ही इजराय ही हो सकती थी। वकील अपीलान्ट ने उक्त तर्क के समर्थन में आर.डी. 1995 पेज 406 व आर.आर.डी 1992 पेज 634 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। चूंकि कानून की नजर में इस तरह की डिक्री शून्य प्रभाव लिए होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अलावा सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा डिक्री में जिस खसरा नंबर 1032 रकबा 27 एयर का उल्लेख किया गया है। वह ग्राम गांवडी में अवस्थित नहीं होकर ग्राम नगला नन्दराम में स्थित है। इसके बाबजूद खसरा नम्बर 1032 को ग्राम गांवडी में दर्शातें हुये डिक्री दिनांक 10.11.2013 को पारित की गई। सहायक कलक्टर की ओर से एकतरफा में डिक्री पारित की गई थी। गांव के संबंध में कोई संशोधन भी नहीं करवाया गया। इसके बाबजूद गलत इजराय के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया। खसरा नम्बर 1032 ग्रामीण बैंक एवं कारपोरेशन बैंक में रहन रखा हुआ था, लेकिन संबधित बैंकों को सूचित किये बिना इन्द्राज परिवर्तन जरिये दाखिल खारिज जेर अपील गलत किया गया है। इस अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए डिक्री के आधार पर ही दाखिल खारिज जेर अपील दिनांक 29.01.2014 गलत रूप से खोला गया, क्योंकि कानूनन मृत व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज तस्दीक नहीं हो सकता है, परन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 840 मृत व्यक्ति अर्थात मु0 भगवती के नाम भी तस्दीक किया गया है जो कि इस आधार पर भी निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपील अपीलान्ट गलत रूप से खारिज की है। जबकि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

840 दिनांक 29.01.2014 व जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तकरण सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित डिक्री दिनांक 10.12.2013 व इजराय दिनांक 10.01.2014 की पालना में बाद जांच खोला गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है, क्योंकि नामान्तकरण खोलते समय निर्णय व डिक्री की वैद्यता की जांच नहीं की जा सकती। वरन् न्यायालय की ओर से पारित आदेश की पालना में जब तक किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो, नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक है। यदि अपीलान्ट सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित डिक्री व इजराय से व्यथित है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। यदि अपील में सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय को निरस्त किया जाता है तो तदानुसार पूर्व स्थिति बहाल हो सकती है। सहायक कलक्टर की ओर से पारित निर्णय को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। वरन् इसके लिए सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील पेश किये जाने के प्रावधान हैं। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने आर.आर.डी 1988 पेज 628, आर.एल. डब्ल्यू. 2007 (2) पेज 1200, आर.आर.टी 2013 (2) पेज 746, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 387 व आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1394 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री को नामान्तकरण संबंधी अपील की कार्यवाही में निरस्त नहीं किया जा सकता और न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 221, 230 व 82 के तहत ही निरस्त की जा सकती है। वरन् इसके लिए सक्षम न्यायालय में अपील पेश किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में भी अपीलान्ट की ओर से सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की हुई है जो कि विचाराधीन है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार ने न्यायालय के आदेश की पालना की है। स्वविवेक से कोई आज्ञा पारित नहीं की है। नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है। सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय के विरूद्ध आर.ए.ए. न्यायालय में अपील विचाराधीन है। जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। आर.ए.ए. न्यायालय की ओर से स्थगन दिनांक 10.03.2014 को जारी किया गया है, जो कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के बाद का है। इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण में हरतक्षेप किया जाना उचित नहीं मानकर अपीलान्ट की अपील को खारिज किया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2016 यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि सहायक कलक्टर की ओर से पारित आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो कि अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए है। इस तरह के आदेश के आधार पर खोला गया नामान्तकरण भी अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि मृत व्यक्ति के पक्ष में नामान्तकरण नहीं भरा जा सकता है। तहसीलदार जो कि राजस्व अधिकारी है से यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्व नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें, परन्तु मृत व्यक्ति के पक्ष में नियम विरूद्ध नामान्तकरण खोले जाने के कारण नामान्तकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2016 व नामान्तकरण संख्या 840 दिनांक 29.01.2014 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय भरतपुर में नामान्तकरण संख्या 840 दिनांक 29.01.2014 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश की गई थी। जिसमें सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 10.12.2013 मृत व्यक्ति के पक्ष में पारित किये जाने व अपीलाधीन नामान्तकरण भगवती जो कि 8 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी थी के पक्ष में तस्दीक किये जाने के कारण अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की थी। जिला कलक्टर न्यायालय में रैस्पोडेन्ट की ओर से आर्डर 41 रूल 27 व धारा 151 के तहत सी.पी.सी. के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज के अनुसार सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.12.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत अपील पेश की हुई है, जिसमें दिनांक 10.03.2014 को आगामी पेशी दिनांक 17.04.2014 तक कब्जे की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.12.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से सक्षम न्यायालय में अपील दिनांक 11.02.2014 को पेश की जा चुकी थी।

जहां तक अपीलाधीन नामान्तकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त नामान्तकरण सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से प्रकरण संख्या 407/12 में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2013 व इजराय आदेश दिनांक 20.01.2014 की पालना में खोला गया है। जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जांच किये जाने के बाद तहसीलदार द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि सहायक कलक्टर द्वारा मृत व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित की गई है तथा मृत व्यक्ति के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है तो हम वकील अपीलान्ट के उक्त तर्क से सहमत हैं, परन्तु सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.12.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से पूर्व में अपील पेश किये जाने के कारण सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय के गुणावगुण पर सक्षम न्यायालय से निर्णय होना है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 1994 पेज 486, आर.आर.डी. 1995 पेज 406 तथा आर.आर.डी 1992 पेज 634 पर

उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु सहायक कलक्टर भरततुर की ओर से पारित निर्णय व डिकी दिनांक 10.12.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की जा चुकी है। जिसमें सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय के गुणावगुण पर विचार कर समुचित निर्णय पारित होना है, परन्तु अदालत हाजा में अपीलान्ट की ओर से सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित डिकी दिनांक 10.12.2013 व इजराय दिनांक 10.01.2014 के विरूद्ध अपील पेश नहीं कर उक्त आदेश के आधार पर खोले गए नामान्तकरण के विरूद्ध है। नामान्तकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित नहीं है। अतः हमारी विनम्र राय में उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही जो कि एक फिसकल प्रोसिडिंग है तथा संक्षिप्त कार्यवाही है में सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित नहीं है और न ही नामान्तकरण संबंधी अपील में यह अपेक्षित ही है। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरें यथा 1988 आर.आर.डी. पेज 628, 2007 (2) आर.एल.डब्ल्यू. पेज 1200, 2013 (2) आर.आर.टी पेज 1394 व 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 387 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। जिनके अनुसार सक्षम न्यायालय के आदेश के आधार पर खोले गए नामान्तकरण में संबंधित न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 221, 230 व धारा 82 के तहत रैफ्रेन्स ही पेश किया जा सकता है। वरन् इसके लिए सक्षम न्यायालय में अपील पेश किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन नामान्तकरण में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा तहसीलदार की ओर से जब अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। उस समय उनके समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ था। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि भगवती की मृत्यु निर्णय होने से पूर्व हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय की ओर से पारित डिकी व इजराय की पालना में खोले गए नामान्तकरण को अस्वीकृत किये जाने/खारिज किये जाने का कोई आधार नहीं था। अब चूंकि अपीलान्ट की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.12.2013 के विरूद्ध अपील पेश की हुई है। यदि उक्त अपील में सहायक कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश को अपास्त किया जाता है तो न्यायालय के निर्णय के आधार पर पुनः नामान्तकरण खोला जा सकता है, परन्तु सक्षम न्यायालय की ओर से पारित डिकी व इजराय के आधार पर तत्समय खोले गये नामान्तकरण में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय के गुणावगुण पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में पृथक से निर्णय होना शेष है। इसी प्रकार जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से भी पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2016 स्पष्ट व स्पीकिंग है। इस निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर ने उभय पक्षकारान की ओर से की गई बहस का उल्लेख

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

करते हुए यह माना है कि नामान्तकरण संख्या 840 सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय/डिकी दिनांक 10.12.2013 एवं इजराय दिनांक 10.01.2014 की पालना में भरा जाकर दिनांक 29.01.2014 को स्वीकार किया गया है। नायब तहसीलदार ने न्यायालय के आदेश की पालना की है। स्वविवेक से कोई आज्ञा पारित नहीं की गई है। नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है। सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील विचाराधीन है। उक्त न्यायालय से जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.03.2014 अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के बाद का उल्लेख करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की है, जो कि उचित है। अतः इस आधार पर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2016 में भी हस्तेक्षप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर